

राजस्थान सरकार
 ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर
 (ग्रामीण विकास अनुभाग-7)

विषय:—राजस्थान लोक उपायन पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों विषयक परिपत्रों के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:—वित्त (SPFC) विभाग के परिपत्र दिनांक 27.09.2016, 21.12.2016 एवं 31.03.2017।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है सन्दर्भित पत्र में वर्णित परिपत्र आपको आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

SPM(Adm)

(सिरमौर मीना)
 वित्तीय सलाहकार

1. एस.एम.डी. (आर.आर.एल.पी.)
2. संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.) ग्रावि.वि.विभाग
3. परियोजना निदेशक एसएपी-1/II/ईजीएस/एम.एण्ड.ई./एल.पी.एण्ड.एस.एच.जी.
4. अधीक्षण अभियन्ता ग्राविवि
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफयूल
6. परियोजना निदेशक, एम. पावर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) समस्त (राजस्थान)

अ.शा.टीप क्रमांक: प.13(6)(9)/ग्राविवि/ग्रुप-7/2015-16 / 5307
 जयपुर दिनांक 21.4.17

Sh. Ramesh.
 स्टाफ DPM के सिर्कुलेट
 21/4/17

राजस्थान सरकार
वित्त (एस.पी.एफ.सी.) विभाग

क्रमांक: एफ.7(5)वित्त/एसपीएफसी/2013

जयपुर, दिनांक 27.09.2016

संख्या/2016

परिपत्र

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियम राज्य में दिनांक 26 जनवरी, 2013 से लागू हो चुके हैं। इस अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत लोक उपापन में पारदर्शिता को उपापन प्रक्रिया के अनिवार्य घटक के रूप में माना गया है। कतिपय प्रकरणों में यह देखा गया है कि उपापन संस्थाओं द्वारा राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर केवल बोली आमंत्रण सूचना (NIB) को ही प्रकाशित किया जा रहा है, जबकि राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाने वाली सूचनाओं/दस्तावेजों के प्रकाशन के संबंध में समय-समय पर इस विभाग द्वारा परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाता रहा है। ऐसी स्थिति में अभी तक भी कतिपय उपापन संस्थाओं द्वारा उपापन से संबंधित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जाना गम्भीर विषय है।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 17 के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था द्वारा उपापन से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं राज्य लोक उपापन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी:-

1. पूर्व-अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली-पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो, और उसके शुद्धि-पत्र,
2. पूर्व-अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है,
3. पूर्व-अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,
4. धारा 25 के अधीन, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,
5. धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,
6. सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा,
7. बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया है, कि विशिष्टतां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि,
8. कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।

कतिपय मामलों में यह भी देखने में आया है कि जिन मामलों में ई-बिड आमंत्रित की जाती है, वहां उपापन संस्थाओं द्वारा केवल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ही बिड का प्रकाशन किया

श्री/श्री/श्री/श्री
सम प्रो. प्रो. प्रो. प्रो. व
जिसे ~~के~~ circulate करावे
12/11/17